

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक: प.10(4)शिक्षा-1/4/2008 पार्ट

जयपुर, दिनांक:

अध्यक्ष,
राष्ट्रीय अध्यापक परिषद,
हंस भवन, विंग-II, बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली।

विषय :- निजी क्षेत्र में नवीन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को एनसीटीई द्वारा वर्ष 2015-16 से मान्यता प्रदान किये जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा एनओसी जारी किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण बाबत।

संदर्भ :- इस विभाग का अध्यक्ष एनसीटीई, नई दिल्ली को सम्बोधित पत्र समसंख्यक पत्र दिनांक 04.02.2015

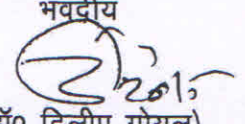
महोदय,

एनसीटीई द्वारा नये विनियम 2014 के अन्तर्गत सत्र 2016-17 के लिए शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/महाविद्यालयों के लिए आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। राजस्थान राज्य द्वारा एनसीटीई के विनियमों तथा इसके द्वारा किये गये सर्वे के आधार पर मांग से अधिक आपूर्ति होने के कारण नवीन शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/महाविद्यालयों (नवीन एमएड/बीएड/शिक्षाशास्त्री/बीपीएड) खोलने पर 2009-10 से 2014-15 तक रोक लगा रखी है जिसके विषय में एनसीटीई को यथा समय सूचित किया जाता रहा है। एनसीटीई द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा राज्य से यह सूचना चाही गई थी कि एनसीटीई द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संचालित 9 पाठ्यक्रमों में से राज्य किन पाठ्यक्रमों को संचालित करना चाहता है। इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 04.02.2015 के द्वारा पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त बीए (बीएड) इन्ट्रीगेटेड (चार वर्षीय) एवं एमपीएड (शारीरिक शिक्षा) के संचालन के सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई थी परन्तु राज्य सरकार द्वारा आगामी सत्र से पाठ्यक्रमों/महाविद्यालयों पर रोक हटाने के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं की गई थी क्योंकि यह निर्णय राज्य सरकार के विचाराधीन है तथा इसके विषय में एनसीटीई को समय-समय पर तथा अनुसंधान अधिकारी, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित ई-मेल दिनांक 25.02.2015 के क्रम में भी विशेष रूप से अवगत करवा दिया गया था (सुलभ संदर्भ हेतु प्रतियां संलग्न हैं)। उल्लेखनीय है कि एनसीटीई के स्वयं के सर्वे में 2016-17 तक भी शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों 62137 सीटें मांग से अधिक बताई गई हैं। इस पृष्ठभूमि में यह विस्मय का विषय है कि इस विभाग के दिनांक 04.02.2015 के पत्र का तात्पर्य एनसीटीई के अधिकारियों द्वारा राज्य में पूर्व में एनओसी जारी किये जाने से प्रतिबन्ध में शिथिलन समझते हुये राजस्थान राज्य में नवीन शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को वर्ष 2015-16 से मान्यताएं प्रदान कर दी है तथा आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि एनसीटीई, एनआरसी जयपुर की बैठकों में राज्य सरकार के प्रतिनिधि द्वारा इस विषय में एनसीटीई को सतत सूचना जाती रही है। हाल ही में इसी परिपेक्ष में दिनांक 22.04.2015 को एनसीटीई एनआरसी की आयोजित बैठक में भी राज्य प्रतिनिधि द्वारा उक्त बिन्दु को उठाया गया था। अपने कार्यवाही विवरण में एनसीटीई यह बताया कि राज्य सरकार बाद में भी अपने असहमति/सहमति व्यक्त कर सकती है। किन्तु एनसीटीई द्वारा उक्त बिन्दु को नजर अन्दाज करते हुये एनसीटीई द्वारा विभाग के दिनांक 04.02.2015 के पत्र को वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है जिससे यह भ्रम होता है कि राज्य सरकार ने सत्र 2015-16 व 2016-17

के लिए उक्त रोक हटाने के संबंध में कोई निर्णय ले लिया है। इससे न्यायिक विवाद उत्पन्न होने की स्थिति बनेगी।

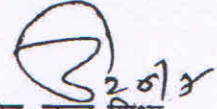
उपरोक्त परिपेक्ष में कृपया राज्य सरकार के दिनांक 04.02.2015 के पत्र को वेबसाइट से हटवाने तथा आवेदकों का यह सूचना देने का श्रम करें कि राजस्थान राज्य द्वारा सत्र 2015-16 व 2016-17 में प्रतिबन्ध हटाने के विषय में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस संबंध में सक्षम स्तर पर कोई अन्यथा निर्णय होने पर तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीय

(डॉ० दिलीप गोयल)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. चेयरमेन, एनआरसी, एनसीटीई, जीवननिधि- II, एलआईसी भवन, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर।
2. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीटीई एनआरसी, जीवननिधि- II, एलआईसी भवन, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर।
3. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
5. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
6. कुलसचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
7. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
8. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
9. कुलसचिव, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. प्राचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।


संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा